न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/241/2022	2022/396	12.09.2022	10.04.2023

1. सरला देवी पुत्री स्व0 पृथ्वीसिंह पत्नी रोहिताश सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर हाल निवासी ग्राम बाढडोली (नवलसिंह की ढाणी) तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1. मोती सिंह पुत्र स्व0 श्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. उर्मिला पुत्री स्व0 पृथ्वीसिंह पत्नी रोहिताश सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी ग्राम मिर्जापुर तहसील मुण्डावर हाल निवासी ग्राम रामपुर (बाढ गुजरान) तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0।
3. उपपंजीयक मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. भूमि अवाप्ति अधिकारी, डीएमआईसी कार्यालय उद्योग भवन जयपुर राज0।
5. उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. श्री जनार्दन शर्मा —वकील प्रार्थी

02. श्री मनीष कुमावत —वकील अप्रार्थी सं0 1 व 2

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी सरला देवी बनाम मोती सिंह को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय—पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि रखकर छोटी—छोटी तारीख पेशी दे रहे है। कायदे कानून को ताक में रखकर जल्द बाजी में प्रकरण का निस्तारण करने को उतारू है। पीठासीन अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण की सुविधानुसार तारीख पेशी नियत की जाती है। विचाराधीन पत्रावली को अन्य प्रकरण पत्रावलियों से अलग रखा जाता है। गत पेशी दिनांक 09.09.2022 को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रा0पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब पेश किये बिना ही बहस करने का दबाव डाला गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा ऐलानिया तौर पर कहा कि प्रकरण में जल्द से जल्द बहस करो अन्यथा आगामी पेशी पर प्रकरण का निस्तारण कर स्टे प्रा0पत्र खारिज कर दूंगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्व में अपने न्याय निर्णय का इजहार कर दिया है। अप्रार्थी सं0 1 लगा0 4 को कई बार पीठासीन अधिकारी के निवास व चैम्बर मे आते जाते देखा है। अप्रार्थीगण प्रार्थी से ऐलानिया तौर पर कहा गया कि पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गयी है। प्रकरण का निर्णय इनके पक्ष में ही होगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायलय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी सं0 1 लगा0 2 ने जवाब/बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पेश मुंतकिल प्रा0पत्र स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में विचाराधीन वाद को अन्य किसी भी न्यायालय में मुंतकिल किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण द्वारा उक्त राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। उक्तानुसार प्रथमदृष्ट्या प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी सरला देवी बनाम मोतीसिंह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)